20/संख्या-637/94-क०नि०-7-15-700(159)/15

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2.सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2015

विषय:- **अप्रयुक्त/अप्रयोज्य स्टाम्पों के मूल्य की धनराशि वापसी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-क०नि०-5-2581/11-2005-500(59) /2003 दिनांक 10-06-2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अप्रयुक्त/अप्रयोज्य स्टाम्पों के मूल्य की धनराशि वापसी के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये है:-

1. प्रार्थना-पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो।
2. स्टाम्पों की क्रीत की अवधि के दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों।
3. स्टाम्प मूल है।
4. कोषागार से निर्गत है।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण में यह देखा जा रहा है कि अप्रयुक्त एवं अप्रयोज्य स्टाम्पों के मूल्य की धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में शासन में जो प्रस्ताव भेजे जा रहे है उनमें कतिपय कमिया रह जाती है एवं उनके साथ मूल स्टाम्प लगाकर दिये जा रहे है। शासन से स्वीकृति के उपरान्त पुन: इन मूल स्टाम्प पत्रों को जनपद को वापस प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में मूल स्टाम्पों के आवागमन में खोने तथा वापसी में जन सामान्य को अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई की आशंका रहती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम/ पता	स्टाम्प पत्र की क्रम संख्या एव धनराशि	स्टाम्प क्रय की तिथि	वापसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	दो वर्ष से अधिक पर विलम्ब का कारण	सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी द्वारा स्टाम्प पत्रों को निर्गत करने सम्बन्धी निर्धारित प्रपत्र की सत्यापित प्रति (जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी के स्तर से प्रमाणित)

में अप्रयुक्त एवं अप्रयोज्य स्टाम्प के मूल्य की धनराशि वापसी के सम्बन्ध में शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत किये जाय।

4. साथ ही कृपया यह ध्यान दें कि अब शासन में भेजे जाने वाले प्रस्ताव में मूल स्टाम्प भेजने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वापस किये जाने वाले स्टाम्प के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कोषागार से निर्गत किये जाने का सत्यापन किया गया हो और उस प्रपत्र को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

कृपया उपरोक्त आदेशों को अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि- आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।